डीजी परिपत्र संख्याः 19 /2016

जावीद अहमद
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1, तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः मार्च 29 , 2016

प्रिय महोदय,

संज्ञान में आया है कि प्रदेश के जनपदों में साहूकारों द्वारा गरीब व निर्बल वर्ग के लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के उपरान्त उनकी वसूली के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से उत्पीड़न किया जाता है एवं उनसे मनमाने ढंग से ब्याज की वसूली की जाती है तथा उनकी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। इस अवैध कृत्य से किसानों व निर्बल वर्ग को उन्मुक्ति प्रदान करने के लिए पुलिस को संवेदनशील होने की आवश्यकता है।

2. इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मुख्यालय स्तर से परिपत्र संख्याः 88/2008, दिनांकः 13.09.2008 तत्कालीन पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस परिपत्र के माध्यम से दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है। फलस्वरूप किसानों एवं निर्बल वर्ग के व्यक्ति सूदखोरों से लिये गये छोटे-छोटे ऋण के कारण आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते है।

3. साहूकारों एवं उनके समर्थकों द्वारा गरीबों/किसानों का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से उत्पीड़न जोर जबरदस्ती से धन उगाही व मारपीट व उनके खेतों पर कब्जा किये जाने के प्रकरणों पर अंकुश लगाने के लिए सूदखोरों द्वारा उत्पीड़न की घटना प्रकाश में आते ही आरोपियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के साथ-साथ उ0प्र0 रेगुलेशन ऑफ मनी लेंडिग एक्ट-1976 (यू0पी0 एक्ट नम्बर-13 वर्ष 2008 के द्वारा किये गये संशोधन सहित) की धाराओं के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जानी चाहिए

4. आप सभी अवगत होंगे कि इस एक्ट के प्राविधानों के तहत साहूकार का पंजीयन आवश्यक है(धारा-7)। बिना पंजीयन के साहूकारी करना दण्डनीय अपराध है(धारा-10) एवं ऋण का अधिकतम ब्याज दर निर्धारित किया गया है(धारा-12)। इसके अतिरिक्त साहूकार व ऋण प्राप्तकर्ता के कर्तव्य (धारा-13 व 13ए) में वर्णित है। साहूकार द्वारा जमा कराये गये धनराशि का निर्धारित अंश को Liquid Assets के रूप में रखने की अनिवार्यता है (धारा-11)।

5. धारा-10,11 व 13 के उल्लंघन में 03 वर्ष तक के कारावास व कम से कम 5,000/-रूपये का अर्थदण्ड मा0 न्यायालय द्वारा लगाने की व्यवस्था है(धारा-22)। इस अधिनियम में ऋणप्राप्तकर्ता को परेशान करने के लिए प्रेरित करने पर 03 वर्ष तक के कारावास व कम से कम 5,000/-रूपये तक के अर्थदण्ड की व्यवस्था है(धारा-23(1))। धारा-23(1) में दण्डनीय अपराध संज्ञेय होंगे। धारा-23(2)।

6. मा0 न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों पर संज्ञान लिये जाने के पूर्व रजिस्ट्रार की स्वीकृति आवश्यक है। शासनादेश संख्याः 3-3(2)/70, दिनांकः 10.08.1976 द्वारा

विभिन्न जनपदों के अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके नियुक्त न होने पर वित्त एवं राजस्व अधिकारी को जिले के लिए साहूकारी रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार समस्त परगना अधिकारी अपने परगना के लिए साहूकारी उप रजिस्ट्रार और सभी तहसीलदार अपने तहसील के लिए साहूकारी सहायक रजिस्ट्रार नामित किया गया है।

7. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि साहूकारों एवं उनके समर्थकों द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता के उत्पीड़न की घटना प्रकाश में होते ही सभी थानाध्यक्षों द्वारा अनिवार्य रूप से भारतीय दण्ड संहिता व उ0प्र0 रेगुलेशन ऑफ मनी लेंडिग एक्ट-1976 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर निष्पक्षता से विवेचना पूर्ण की जाये तथा अभियुक्तों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही करायी जाये।

भवदीय,

29.3

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
<u>प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।</u>

<u>प्रतिलिपि</u>:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।